

dkykukbztj i ath; u grq psd fyLV %&

छ.ग. नगर पालिका (कालोनाईजर रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्ते) नियम 1998 के तहत कालोनाईजर पंजीयन हेतू आवेदक के साथ निम्नानुसार अभिलेख प्रस्तुत करना होगा:—

I

1. पांच लाख की बैंक गारंटी पांच वर्ष हेतू। (रु. 250.00 के स्टांप पेंपर पर) – A
2. संस्था कि विस्तृत ब्यौरे। – B
3. आवेदक/संस्था/ फर्म के अचल संपत्ती और चल संपत्ति के ब्यौरे।
(अचल संपत्ति में कृषि भूमि, मकान आदि।) – C
4. वित्तीय साधन के ब्यौरे। (बैंक जमा पुंजी आदि, व्यवसाय के स्वरूप) – D
5. पिछले वर्ष का स्थाई लेखांक। (सरल) – E
6. संयुक्त हित यदि कोई हो। (सनहाल के संपत्ति कर की रसीद) – F
7. प्रस्तावित कार्य के पर्यवेक्षण करने नियुक्त इंजिनियर/ वास्तुविद के द्वारा रु. 50.00 स्टांप पेंपर पर सहमति पत्र। – G

II

उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन के साथ प्रस्तुत करने के पश्चात् नगर निगम रायपुर के द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी।

1. निर्धारित शुल्क रु. 5000.00 निगम कोष में जमा कराना होगा। – H
2. आवेदक/ संस्था/ सक्रिय सदस्य/ भागीदार/ संचालको के संबंध में पुलिस अधीक्षक, रायपुर से चरित्र सत्यापन। – I

dk; kly; uxj i kfyd fuxe] jk; i g ¼N-x-½
dkykuh fodkl vufgr grqpsd fyLV

छ.ग. नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रकरण निर्बधन तथा शर्त नियम 1998 के नियम 8 के तहत) कालोनी विकास अनुमति हेतु निम्नानुसार अभिलेख/ औपचारिकता में पूर्ण करना होगा :-

1. आवेदक के स्वामित्व की अचल संपत्ति के ब्यौरे। **A**
2. प्रस्तावित भूमि स्वामित्व के पंजीयक से प्राप्त प्रमाण पत्र व दस्तावेज की बी-1की प्रति। **B**
3. कालोनी स्थापना हेतु वित्तीय साधन के ब्यौरे। **C**
4. ऋण मुक्तता प्रमाण पत्र। **D**
5. प्रस्तावित भूमि का भू - व्यवर्तन प्रमाण पत्र। **E**
6. प्रस्तावित कालोनी विकास हेतु अनुमानित व्यय पत्रक (विस्तृत प्राक्कलन) किसी अर्हता प्राप्त (इंजीनियर/ वास्तुविद से प्रमाणित कर, प्रस्तुत करना होगा)। **F**
7. प्रस्तावित कालोनी के अभिन्यास की पांच प्रतियाँ। **G**

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत आवेदन पर कार्यालय द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :-

8. विकास अनुमति शुल्क एक रूपये प्रति वर्गमीटर के अनुसार जमा करना होगा। **H**
9. आवश्यकतानुसार बाह्य विकास शुल्क दस रूपये प्रति वर्गमीटर जमा करना होगा। **I**
10. आवश्यकतानुसार संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रायपुर से एवं नजूल अधिकारी, रायपुर से अनापत्ति/ अभिमत या अनुमति प्राप्त किया जावेगा। **J**
11. नियम 10 के अनुसार प्रस्तावित कालोनी में समाज के कमजोर आय वर्ग हेतु 15 प्रतिशत भूखंड आरक्षित कर, प्रस्तावित अभिविन्यास में अंकित करना होगा। **K**

;k

प्रस्तावित कालोनी का संपूर्ण क्षेत्र का रू. 200.00 रूपये प्रति वर्गमीटर के अनुसार जमा करना होगा।

12. उपरोक्त कंडिका 6 के अनुसार प्रस्तुत अनुमानित व्यय पत्रक आधार पर, नगर पालिक निगम, रायपुर के द्वारा निर्धारित राशि का 2 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क जमा करना होगा। **L**
13. नियम 12 (एक) के अनुसार 25 प्रतिशत बंधक भूखंड फलैट्स , प्रस्तावित अभिन्यास में पृथक से अंकित करना होगा तथा तदाशय का अनुबंध पत्र पचास रूपये के स्टांप पेपर पर विवरण पत्रक के साथ संलग्न कर, प्रस्तुत करना होगा। **M**

uxj fuo'kd
uxj i kfyd fuxe
jk; i g